नालको NALCO

प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न (प्र.) तथा उनके उत्तर(उ.)

प्र. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन कौन सूचना मांग सकता है?

उ. भारत का कोई भी नागरिक इस अधिनियम के अधीन सूचना प्राप्त कर सकता है। इस अधिनियम के तहत सूचना प्राप्त करने के इच्छुक नागरिक.को अंग्रेजी अथवा हिंदी अथवा ओड़िआ में लिखित जन सूचना अधिकारी (ज.सू.अ.) को आवेदन करना होगा। आवेदन सटीक और विशिष्ट होने चाहिए। आवेदन डाक द्वारा अथवा वेबसाईट www.rtionline.gov.in के माध्यम से ऑनलाईन भेजे जा सकते हैं (नालको ने खान मंत्रालय के अधीन इस पोर्टल के साथ समझौता किया है) अथवा ज.सू.अ. के कार्यालय में व्यक्तिगत तौर पर भी दिया जा सकता है अथवा किसी स.ज.सू.अ. के माध्यम से भेज सकता है।

प्र. **क्या किसी निगम, संघ, कंपनी, ट्रेड यूनियन, एनजीओ आदि का कोई कर्मचारी अथवा पदाधिकारी अपने आधिकारिक नाम से ज.सू.अ.अधिनियम के तहत सूचना मांग सकता है?**

उ. नहीं। यह अधिनियम केवल भारत के नागरिको को सूचना का अधिकार प्रदान करता है। इसमें निगमों, संघों, कंपनियों, ट्रेड यूनियनों तथा एनजीओ आदि को सूचना प्रदान करने का कोई प्रावधान नहीं है, जो विधिक संस्था/व्यक्ति तो है परंतु नागरिक नहीं है। तथापि, यदि किसी निगम, संघ, कंपनी, ट्रेड यूनियन, एनजीओ आदि के किसी कर्मचारी अथवा पदाधिकारी द्वारा अपना नाम अंकित करते हुए आवेदन किया जाता है, जो भारत के नागरिक हैं, उन्हे सूचना प्रदान की जा सकती है। इस प्रकार के मामलों में, यह समझा जाएगा कि एक नागरिक किसी निगम, संघ, कंपनी, ट्रेड यूनियन, एनजीओ आदि के पते पर सूचना मांग रहा है।

प्र. ज.सू.अ.अधिनियम के अधीन "सूचना" का क्या अभिप्राय है?

उ. सूचना का अभिप्राय अभिलेख, दस्तावेज. रिकॉर्ड, दस्तावेज, स्मरण लेख, ई-मेल, राय, विचार,, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉगबुक, अनुबंध, रिपोर्ट, कागजात, नमूने, मॉडल, किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखी गई डेटा सामग्री और किसी भी निजी निकाय से संबंधित जानकारी शामिल हो सकती है, जो तत्काल लागू किसी अन्य विधि के तहत किसी सार्वजनिक प्राधिकरण द्वाराअवलोकित किए जा सकते हैं [धारा2 (च)]।

प्र. सूचना के अधिकार का क्या अभिप्राय है?

उ. सूचना के अधिकार में निम्नलिखित अधिकार शामिल हैं -

i. कृति, दस्तावेजों, अभिलेखों का निरीक्षण;
ii. दस्तावेजों या अभिलेखों के टिप्पणी, उद्धरण या प्रमाणित प्रतिलिपि लेना;
iii. सामग्रियों के प्रमाणित नमूने लेना;
iv. डिस्केट, फ्लापी, टेप, वीडियो कैसेट के रूप में या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक रीति में या प्रिंट आउट के माध्यम से सूचना को, जहां ऐसी सूचना किसी कंप्यूटर या किसी अन्य यूक्ति में भंडारित है, अभिप्राप्त करना। [धारा 2 (ञ)]

प्र. सूचना प्राप्त करने के लिए समय सीमा क्या है?

उ. i. आवेदन करने की तिथि से 30 दिन
ii. किसी व्यक्ति के जीवन तथा स्वतंत्रता के संबंध में सूचना के लिए 48 घंटे।
iii. उक्त समय में 05 दिन जोड़े जाएंगे, यदि सूचना हेतु आवेदन सहायक जन सूचना अधिकारी को प्रदान किया जाता है।
iv. यदि तीसरे पक्ष के हित शामिल हो तब समय सीमा 40 दिन होगी (अधिकतम अवधि+प्रतिउत्तर देने के लिए दूसरे पक्ष को प्रदान किया गया समय)
v. निर्दिष्ट अवधि के भीतर सूचना प्रदान करने में असफल रहना प्रतिषेध माना जाता है।

प्र. 'तीसरे पक्ष' की सूचना क्या है तथा ज.सू.अ. अधिनियम के अधीन 'तीसरे पक्ष' की सूचना प्राप्त करने की क्या प्रक्रिया है?

उ. अधिनियम की धारा 11 'तीसरे पक्ष' की सूचना घोषित करने प्रक्रिया प्रदान करती है। इसके अनुसार, यदि कोई जन सूचना अधिकारी (ज.सू.अ.) तीसरे पक्ष द्वारा प्रदान की गई सूचना घोषित करना चाहता है, जिसे तीसरा पक्ष गोपनीय समझता है, जन सूचना अधिकारी सूचना घोषित करने के निर्णय लेने से पूर्व इस विषय में प्रतिवेदन के लिए तीसरे पक्ष को आमंत्रित करेगा। तीसरा पक्ष जन सूचना अधिकारी के निर्णय के विरूद्ध विभागीय अपीलीय प्राधिकारी को अपील करने का अधिकार रखता है तथा संबंधित विभागीय अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय के साथ असंतुष्ट होने पर वह संबंधित सूचना आयोग को दूसरी अपील कर सकते हैं। जन सूचना अधिकारी तब तक इस प्रकार की सूचना की घोषणा नहीं कर सकता, जब तक धारा 11 में निर्दिष्ट प्रक्रिया पूर्ण नहीं होती है।

ज.सू.अ. अधिनियम की धारा 2(एन) में निर्दिष्ट अनुसार "तीसरा पक्ष" में एक सार्वजनिक प्राधिकारी भी शामिल है। "तीसरा पक्ष" की परिभाषा को अधिनियम की धारा 11 के साथ देखने पर यह यह स्पष्ट कि यदि कोई सार्वजनिक प्राधिकारी 'X', किसी अन्य सार्वजनिक प्राधिकारी 'Y' से सूचनाएं प्राप्त करता है, जिसे सार्वजनिक प्राधिकारी ने 'गोपनीय' के तौर पर चिन्हित किया है, तब 'X' सूचनाओं के संबंध में तीसरे पक्ष 'Y' के परामर्श लिए बिना तथा अधिनियम की धारा (11) में निर्धारित प्रक्रिया, जो कि एक संवैधानिक आवश्यकता है, का पालन किए बिना सूचनाएं नहीं दे सकता है।

प्र. ज.सू.अ. अधिनियम के अधीन नालको को देय आवेदन शुल्क तथा अन्य प्रभार क्या हैं तथा किस नियम के अधीन हैं? भुगतान की स्वीकार्य विधि कौन-कौन सी है?

उ. नालको एक केंद्रीय लोक प्राधिकरण है, कंपनी को देय आवेदन शुल्क एवं अन्य लागू प्रभार सूचना अधिकार (शुल्क एवं लागत का विनियमन) नियम, 2005 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट अनुसार है।

अधिनियम की धारा 6(2) के अधीन आवेदन शुल्क: ₹ 10/-

अधिनियम की धारा 7(1) के अधीन प्रभार:

(क) बनाई गई तथा प्रति की गयी प्रत्येक ए-4 तथा ए-3 पृष्ठ हेतु : ₹ 2/-

(ख) इससे बड़े आकार के प्रत्येक पृष्ठ हेतु: वास्तविक प्रभार अथवा लागत मूल्य

(ग) नमूनों अथवा प्रतिरूपों हेतु: वास्तविक प्रभार अथवा लागत मूल्य

(घ) अभिलेखों के निरीक्षण हेतु: प्रथम घंटे के लिए कोई शुल्क नहीं तथा तत्पश्चात प्रति घटें(अथवा उसके अंश) के लिए शुल्क ₹ 5/-

अधिनियम की धारा 7(5) के अधीन सूचना प्रदान करने हेतु:

(क) डिस्केट अथवा फ्लॉपी में: ₹ 50/- प्रति डिस्केट अथवा फ्लॉपी।

(ख) मुद्रित प्रति के रूप में: इस प्रकार के प्रकाशन हेतु नियत मूल्य पर अथवा प्रकाशन के सार की प्रतिलिपि हेतु ₹ 2/- प्रति पृष्ठ।

इंडियन पोस्टल आर्डर या नालको के नकद काउंटर पर नकद जमा करके पावती प्रस्तुत करना अथवा नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड के पक्ष में तथा भुवनेश्वर में देय डिमांड ड्राफ्ट भुगतान की स्वीकार्य विधियां हैं। मनी ऑर्डर के माध्यम से अथवा ट्रेजरी चालान के माध्यम से अथवा कोर्ट फीस स्टैंप/राजस्व स्टैंप के रूप में अथवा डाकघर में जमा करने से किया जाने वाला भुगतान नालको हेतु भुगतान की विधि के तौर पर स्वीकार्य नहीं है।

प्र. सार्वजनिक प्राधिकारी किस प्रकार की सूचना प्रदान करने से सूचना मांगने वाले को इंकार कर सकते हैं?

उ. सूचना मांगने वाले को ज.सू.अ.अधिनियम की धारा 8 तथा धारा 9 के अधीन निर्दिष्ट सूचनाएं प्रकटीकरण से मुक्त हैं। इस तरह की सूचना मांगने वाले किसी भी भारतीय नागरिक को सूचना देने से इंकार किया जाएगा।

प्र. क्या ज.सू.अ.अधिनियम के अधीन आंशिक प्रकटीकरण की अनुमति है?

उ. हां, केवल अभिलेख के उस भाग को जिसमें कोई ऐसी जानकारी शामिल नहीं है, जिसके प्रदान करने से छूट है तथा जो समुचित तौर पर किसी ऐसे भाग से, जिसे सूचना प्रदान करने से छूट है, प्रदान किया जा सकता है(धारा - 10)।

प्र. मानद जन सूचना अधिकारी कौन होता है तथा ज.सू.अ.अधिनियम के अधीन उसकी क्या जिम्मेदारी एवं दायित्व हैं?

उ. कोई भी अधिकारी, जो सूचना का संरक्षक होता है और उसकी सहायता से जन सूचना अधिकारी वांछित सूचना को सूचना मांगने वाले को प्रदान करता है, उसे मानद जन सूचना अधिकारी कहा जाता है। ऐसे अधिकारियों का दायित्व है कि उनकी सहायता मांगने वाले जन सूचना अधिकारी को सभी प्रकार की सहायता प्रदान करें। साथ ही, सूचना के अधिकार के प्रावधानों का उल्लंघन होने पर ऐसे अधिकारियों को जन सूचना अधिकारी के तौर पर लिया जाएगा। धारा-5(5)

प्र. **ज.सू.अ.अधिनियम के अधीन अपीलीय प्राधिकारी कौन होते हैं?**

उ. **प्रथम अपील:** निर्धारित समय सीमा की समाप्ति से या निर्णय की प्राप्ति से 30 दिनों के भीतर संबंधित लोक प्राधिकार में जन सूचना अधिकारी से रैंक में वरिष्ठ अधिकारी को पहले अपील की जाती है(अपीलीय प्राधिकारी द्वारा विलंब को नज़रअंदाज किया जा सकता है, यदि पर्याप्त कारण प्रदर्शित किया गया हो)

द्वितीय अपील: प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा प्रदान किए गए अथवा दिए गए निर्णय की तिथि से 90 दिनों के भीतर, केंद्रीय सूचना आयोग अथवा राज्य सूचना आयोग, जैसा भी मामला हो, को द्वितीय अपील की जा सकती है

(आयोग द्वारा विलंब को नज़रअंदाज किया जा सकता है, यदि पर्याप्त कारण प्रदर्शित किया गया हो)। जन सूचना अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध तीसरी पक्ष अपील प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष 30 दिनों के भीतर अथवा उपयुक्त सूचना आयोग के समक्ष यह सिद्ध किया जाना कि सूचना ना देना उचित था, जन सूचना अधिकारी का दायित्व होता है। प्रथम अपील पर निर्णय के 90 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से दर्ज करायी गयी होनी चाहिए। प्रथम अपील प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के भीतर, अन्यत्र 15 दिनों तक बढ़ाने योग्य, यदि वांछित हो, निपटाया जाना चाहिए (धारा 19)

प्र. **ज.सू.अ.अधिनियम के अधीन दण्ड के क्या प्रावधान हैं?**

उ. निम्न हेतु प्रत्येक जन सूचना अधिकारी ₹ 250/-प्रति दिन अधिकतम ₹ 25,000/-, तक दण्ड के योग्य होगा।

i. किसी आवेदन को स्वीकार नहीं करना।;
ii. उचित कारण के बिना सूचना प्रदान करने में विलंब करना;
iii. दुर्भावपूर्ण सूचना प्रदान करने से इंकार करना;
iv. जानबूझकरअधूरी, गलत, भ्रामक जानकारी प्रदान करना;
v. सूचना नष्ट करना, जिसके लिए आवेदन किया गया है तथा
vi. किसी रूप में सूचना प्रदान करने में अवरोध उत्पन्न करना।

केंद्र तथा राज्य स्तर पर सूचना आयोग (सू.आ.) को यह दण्ड लगाने का अधिकार है। सूचना आयोग उस दोषी जन सूचना अधिकारी के विरूद्ध विधि के उल्लंघन हेतु अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा भी कर सकता है। (धारा 20)